(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 01/2024

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2024/74

बउनवान

महावीर प्रसाद त्रिवेदी पुत्र श्री सत्यनारायण जाति त्रिवेदी निवासी छबड़ा जिला बारॉ जरिये मुख्त्यार आम कमल कालरा पुत्र श्री नंदकिशोर जाति खत्री पंजाबी निवासी छबड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1. माणकचंद पुत्र श्री फैलीराम उर्फ फैली जाति कबाड़ी निवासी किशोरपुरा तहसील छबड़ा जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छबड़ा जिला बारां

(अप्रार्थीगण)

किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) आवंटन नियम, 1970

उपस्थित :–	1– श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी अभिभाषक	(प्रार्थी)
	2– श्री शैलेष मेहता अभिभाषक	(अप्रार्थी क्रम 01)
	3– पेरोकार सरकार	(अप्रार्थी क्रम 02)

निर्णय दिनांक 22.07.2024

प्रार्थी द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा द्वारा आवंटी श्री मानकचंद पुत्र मुरली जाति कबाड़ी निवासी किशोरपुरा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज.) को आवंटन आदेश दिनांक 27.11.1975 से ग्राम किशोरपुरा तहसील छबड़ा जिला बारां के खसरा नंबर 41 की 03 बीघा 05 बिस्वा एवं खसरा नंबर 42 की 02 बीघा भूमि आवंटन की गई है जिससे अप्रसन्न होकर आवंटन आदेश निरस्त किए जाने हेतु विरूद्व अप्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दिनांक 19.04.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 01 द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। अप्रार्थी क्रम 02 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। अधीनस्थ न्यायालय से मूल आवंटन आदेश तलब किया गया। जो इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के पत्रांक 944 दिनांक 14.05.2024 के संलग्न प्राप्त हुआ। प्रकरण में उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कथन किया कि वर्तमान जमाबंदी अनुसार वाके माल किशोरपुरा पटवार हल्का गुगोर तहसील छबड़ा की खाता संख्या नया 89 पुराना 40 की आराजी खसरा नं.42 रकबा 0.55 हैक्टर स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम बतौर खातेदार कृषक अंकित है। प्रार्थी के उक्त खातेदारी की आराजी के पडौस में आराजी खाता संख्या 43 पुराना 43 से खसरा नं. 116/41 रकबा 0.82 हैक्टर, खसरा नं. 119/42 रकबा 0.50 हैक्टर कुल दो किता कुल रकबा 1.32 हैक्टर वाके माल किशोरपुरा पटवार हल्का गुगोर तहसील छबड़ा स्थित है जो वर्तमान में माणकचंद पुत्र मुरली जाति कबाड़ी सा. देह के नाम राजस्व रेकार्ड खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी ही वाद की विषयवस्तु है जिसे आगे विवादित भूमि के नाम संबोधित किया गया हैं। उक्त विवादित आराजी पूर्व में ग्राम किशोरपुरा तह[illegible] 2028 से 2031 अनुसार मि.नं. 41 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा, मि.नं. 42 रकबा 07 बीघा [illegible] राजस्थान सरकार की खातेदारी में दर्ज थी। उक्त आराजी में से कृषि प्रयो[illegible] हेतु माणकचंद पुत्र मुरली कबाड़ी निवासी किशोरपुरा तहसील छबड़ा [illegible] 101 भू–राजस्व अधिनियम के तहत आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन अनुरूप आवेदक को भूमिहीन मा[illegible] दिनांक 27.11.1975 को [illegible] किशोरपुरा में आराजी मि.नं. 41 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा, मि.नं. [illegible] रकबा 07 बीघा 19 बि[illegible] से 02 बीघा आराजी का आवंटन नामांतरण नं. 73 से माणकचंद पुत्र मुरली कबाड़ी निवासी किशोरपुरा तहसील छबड़ा जिला बारां के नाम गैरखातेदारी में किया गया है एवं बाद नामांतरण संख्या 162 दि. 22.05.1992 खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। उक्त आराजी को बाद तरमीम खसरा नं. 116/41 रकबा 0.82 हैक्टर, खसरा नं. 119/42 रकबा 0.50 हैक्टर कुल दो किता कुल रकबा 1.32 हैक्टर प्रदान कर उक्त आराजी वर्तमान में माणकचंद पुत्र मुरली कबाड़ी सा. देह के नाम राजस्व रेकार्ड खातेदारी में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.08.07 13:52:54 IST
Reason: SelfAttested

मि.नं. 42 रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा को अलग–अलग खसरा नंबरों में विभाजित कर तरमीम करते समय राजकीय कर्मचारियों द्वारा मौके पर राजस्व नक्शे में गलत तरमीम करने के कारण मौके पर काबिज काश्तकारों के मध्य विवाद होने के दौरान, अप्रार्थी क्रम 01 जबरन प्रार्थी की आराजी को अपनी आराजी बताकर विवादित आराजी को अपनी खातेदारी में होना बताकर दिनांक 14.01.2024 को मौके पर लड़ाई–झगड़ा करने लगा तो प्रार्थी ने विवादित आराजी का राजस्व रेकार्ड व आवंटन पत्र तथा संबंधित दस्तावेज प्राप्त किये तो जानकारी में आया कि विवादित आराजी का आवंटन दिनांक 27.11.1975 को अप्रार्थी क्रम 01 ने जानबूझकर अपनी वल्दीयत को छुपाकर अप्रार्थी क्रम 02 से मिलीभगत कर माणकचंद पुत्र मुरली कबाड़ी निवासी किशोरपुरा तहसील छबड़ा के नाम पर करवा लिया तथा अप्रार्थी क्रम 01 का नाम व आवंटी का नाम एक होने का फायदा उठाकर अप्रार्थी क्रम 01 छलपूर्वक विवादित आराजी पर आधिपत्य करना चाहता है। जबकि माणकचंद पुत्र मुरली कबाड़ी निवासी किशोरपुरा तहसील छबडा के नाम का कोई व्यक्ति ग्राम किशोरपुरा में नहीं है। इस कारण न्यायहित में विवादित आराजी के आवंटन आदेश दिनांक 27.11.1975 खारिज कर उक्त विवादित आराजी को खाता सरकार दर्ज किया जाना आवश्यक है।

अप्रार्थी क्रम 01 के आधार कार्ड, वोटर आईडी एवं अनय राजकीय दस्तावेजात् में पिता का नाम फैलीराम दर्ज है। परंतु विवादित आराजी पर आवंटित व्यक्ति का नाम व अप्रार्थी क्रम 01 का नाम समान होने व विवादित आराजी को षड्यंत पूर्वक हड़पने के आशय से अप्रार्थी क्रम 01 ने जानबूझकर अपने पिता श्री फैलीराम उर्फ फैली के देहावसान होने के बाद उनके राजस्व रेकार्ड में दर्ज फौती नामांतरकरण संख्या 207 दिनांक 20.05.2001 में अपने नाम के स्थान पर भागचंद का नाम आलेखित करवा दिया जबकि श्री फैलीराम उर्फ फैली के चार पुत्र क्रमशः रामप्रसाद, बाबूलाल, धन्नालाल व अप्रार्थी क्रम 01 के अलावा कोई अन्य पुत्र नहीं है जिसका नाम भागचंद हो। उक्त कृत्य अप्रार्थी क्रम 01 ने कपट कारित कर विवादित आराजी को छलपूर्वक करवाये गये आवंटन की आड़ में हड़पने के आशय से कारित किया है तथा उक्त आवंटन की आड़ में प्रार्थी के खातेदारी की भूमि को अपना बताकर जबरन कब्जा करने पर तुला हुआ है जिसका अप्रार्थी क्रम 01 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है तथा प्रार्थी अप्रार्थी क्रम 02 द्वारा अवैधानिक तौर पर बिना जांच किये पारित आवंटन आदेश दिनांक 27.11.1975 को निरस्त करवा पाने का अधिकारी है।

अप्रार्थी क्रम 01 छलपूर्वक वास्तविक तथ्यों को छुपाकर करवाये गये आवंटन आदेश दिनांक 27.11.1975 के आधार पर विवादित आराजी पर प्राप्त खातेदारी की आड में विवादित आराजी को द्विगर व्यक्तियों को बेचान करने पर तुला हुआ है एवं उक्त विवादित आराजी को पहले भी रजिसर्टड विक्रय विलेख के माध्यम से बेचान कर चुका है जिसमें वल्दीयत गलत होने व दस्तावेजात् में पिता के नाम की असमानता की जानकारी अप्रार्थी क्रम 02 को होने पर वापस विवादित आराजी का विक्रय पत्र आराजी के मूल खातदेारी नाम पर आलेखित करवा दिया गया था परंतु अप्रार्थी क्रम 01 धोखाधड़ी कर उक्त विवादित आराजी को विधि विरूद्ध कृत्य कारित कर खुर्दबुर्द करने पर तुला हुआ है जिस कारण प्रार्थी अविलंब उक्त प्रार्थना पत्र के विचारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी के रेकार्ड व मौके की स्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद करवा पाने का अधिकारी है। प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2018–19 (सप्लीमेंट्री) आर.आर.टी. पेज नं. 338, 2021(1) आर.आर.टी. पेज नं. 740, 2015(1) आर.आर.[illegible] पेज नं. 364 राज., 2002(9) आर.बी.जे पेज नं. 148, 2006(13) आर.बी.जे पेज नं. 749 रे.बो., 2006(1[illegible] [illegible]जे पेज नं. 430 राज. बो., 2006(13) आर. बी.जे पेज नं. 168 राज. बो., एवं 2009([illegible] [illegible] किए गए है जो शामिल पत्रावली किए गए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.08.07 13:52:54 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है [illegible] छलपूर्वक प्राप्त सरकारी भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 27.11.1975 आराजी खसरा नं. 41 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा व खसरा नं. 42 रकबा 02 बीघा वाके ग्राम किशोरपुरा तहसील छबड़ा जिला बारां को निरस्त फरमाकर आराजी वर्तमान खाता संख्या 43 पुराना 43 से खसरा नं. 116/41 रकबा 0.82 हैक्टर, खसरा नं. 119/42 रकबा 0.50 हैक्टर कुल दो किता कुल रकबा 1.32 हैक्टर वाके माल किशोरपुरा पटवार हल्का गुगोर तहसील छबड़ा जिला बारां को खाता सरकार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थी क्रम 01 के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी प्रोपर्टी डीलर का काम करता है और अप्रार्थी क्रम 01 की भूमि को खरीदना चाहता है। अप्रार्थी क्रम 01 ने अपने खातेदारी की वादग्रस्त भूमि को बेचान करने से मना करने के कारण प्रार्थी ने अप्रार्थी क्रम 01 को सबक सिखाने के लिये यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है ताकि अप्रार्थी क्रम 01 परेशान होकर वादग्रस्त भूमि का बेचान प्रार्थी को कर दे। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी क्रम 01 को आवंटित हुई थी एवं आवंटन के समय से हीं अप्रार्थी क्रम 01 काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थी क्रम 01 के पिता के नाम में भिन्नता बताकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो गलत है। अप्रार्थी क्रम 01 के संपूर्ण दस्तावेजों में तथा खातेदारी में भी दर्ज पिता का नाम मुरली हीं है, जो सहीं है। प्रार्थी ने उक्त भूमि को अपने हीं व्यक्ति के नाम खरीदने के उद्देश्य से अप्रार्थी क्रम 01 को धोखे में रखकर नारायण सिंह खारोल पुत्र नेमीचंद के नाम करवा ली थी, जब अप्रार्थी क्रम 01 को इस धोखे की जानकारी हुई तो थाना छबड़ा में एफआईआर दर्ज होने पर नारायण सिंह से वापस अप्रार्थी क्रम 01 के नाम रजिस्ट्री करवाई गई थी। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश होने से खारिज फरमाया जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी क्रम 01 द्वारा आवेदन पत्र में कपटपूर्वक अपने पिता के नाम फैलीराम उर्फ फैली के स्थान पर अपने दादाजी का नाम मुरली अंकित कर, स्वयं को भूमिहीन बताकर आवंटन आदेश दिनांक 27.11.1975 से ग्राम किशोरपुरा तहसील छबड़ा जिला बारां के खसरा नंबर 41 की 03 बीघा 05 बिस्वा एवं खसरा नंबर 42 की 02 बीघा भूमि गलत रूप से आवंटन करवाई गई है जबकि वक्त आवंटन अप्रार्थी के पिता के खाते में जमाबंदी संवत् 2036–2039 के अनुसार 40 बीघा भूमि अंकित थी। अप्रार्थी का कथन है कि वादग्रस्त जमीन को प्रार्थी खरीदना चाहता है इसलिये अप्रार्थी के खिलाफ आये दिन झूठे मुकदमे दर्ज करवाता है।

प्रकरण में प्रार्थी के किसी प्रकार के हित प्रभावित नहीं हो रहे है। प्रकरण में अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आवंटन आदेश दिनांक 27.11.1975 को निरस्त करवाए जाने हेतु 48 वर्ष बाद विलंब से प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई उचित कारण भी उल्लेखित नहीं किया गया है। उक्त आवंटन आदेश को यह न्यायालय निरस्त किया जाना उचित नहीं समझता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) भू आवंटन नियम, 1970 खारिज किया जाता है। प्रकरण में तहसीलदार, छबड़ा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी के संपूर्ण कथनों की राजस्व रेकार्ड अनुसार विस्तृत जांच की जावें। यदि प्रार्थी के कथन सत्य पाये जाते है तो शीघ्र संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के साथ उक्त आवंटन आदेश दिनांक 27.11.1975 को निरस्त करवाये जाने हेतु रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक **22.07.2024** को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बाराँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.08.07 13:52:54 IST
Reason: SelfAttested